

**डिकी बमूकदमें इबतदाई**  
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-धारणा  
मु0न0/19/2017

वादीगण-

1. मोजीराम
2. रेखाराम
3. श्रवणलाल पुत्रगण मांगीलाल जातियान जाट निवासीगण धारणा तहसील जायल जिला नागौर।

**राजस्व लोक अदालत अभियान**  
**व्याय आपके द्वार-2018**

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. मांगीलाल पुत्र सुखाराम
2. भंवरी
3. परमा
4. गीता
5. कमला पुत्रिया मांगीलाल जातियान जाट निवासीगण धारणा तहसील जायल जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-19.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी मोजीराम के हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 668 रकवा 13.04 बीघा , ख नं 576 रकवा 14.15 बीघा में से 4.15 बीघा दक्षिणी भाग व ख नं 671 रकवा 30.06 बीघा 1.10 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी रेखाराम के हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 576 रकवा 14.15 बीघा में से 5 बीघा उत्तरी भाग व ख नं 671 रकवा 30.06 बीघा 17 बीघा व ख नं 670 रकवा 33.15 बीघा में से 8 बीघा दक्षिणी भाग, रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी श्रवणलाल के हक वंट में मौजा धारणा का खेत ख नं 576 रकवा 14.15 बीघा में से 5 बीघा मध्य भाग व ख नं 643 रकवा 14.06 बीघा में से 10 बीघा उत्तरी भाग व ख नं 670 रकवा 33.15 बीघा में से 15.01 बीघा उत्तरी भाग, रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. शेष बची हुई भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1-से 5 के सहखातेदारी में घोषित की जाती है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।  
तीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख यगूल योगो तक x को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.06.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी, जायल

मुद्दा	रुपये	पैसे	मुदायला	जायल जिला नामित
स्टाम्प अजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अजी	
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन	
खर्चा गवाहन			फीस कमी नर	
बाबत इजराय हुक्मीजान			बाबत इजराय हुक्मीजान	
मुतफरिफ			मुतफरिफ	

इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी, जायल  
जायल, जिला नागौर

